

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै.से./एम-58/2019/

दिनांक:-

#### आदेश

अवमानना याचिका संख्या 1065/2018 अन्तर्गत एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8985/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.18 की पालना में श्रीमती मरीअम्मा कुरीन जेकोबीट, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगरोप, खण्ड, हमीरगढ़, मुख्यालय सुवाणों जिला भीलवाडा जिनकी जन्म तिथि 05.07.1962 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 09.07.1984 है को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(01) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 11.04.2019 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रदान की जाती है इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

*(मुकुल शर्मा)*

(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै.से./एम-58/2019/ 499

दिनांक:- 11-4-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई. डी क्रमांक 802 दिनांक 11.04.2019 के संदर्भ में।
3. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
4. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा एवं केस प्रभारी अधिकारी।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरगढ़, भीलवाडा।
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग), मुख्यालय।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 11 आदेश/निजी पत्रावली।

*(मुकुल शर्मा)*

(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर